भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2245
बुधवार, 09 अगस्त, 2023 (श्रावण 18,1945(शक)) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय बहु – राज्य सहकारी निर्यात समिति से लाभ

2245 # श्री सतीश चंद्र दूबे

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति से सहकारी समितियों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में जैविक खेती और प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति से सहकारी समितियों को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): भारत सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टस लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है। प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियां, जो निर्यात में रुचि रखती हैं, इसके सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। यह समिति देश की भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापक बाजारों तक पहुंचकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेषों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे दुनिया भर में भारतीय सहकारी उत्पादों / सेवाओं की मांग बढ़ेगी और ऐसे उत्पादों / सेवाओं के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त होंगे। यह खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास आदि सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देगी और सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करेगी। सोसाइटी वित्त की व्यवस्था करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करने, बाजार खूफिया प्रणाली को विकसित करने और उसे बनाए रखने, संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करने और किसी भी अन्य ऐसी गतिविधियों को करने में भी मदद करेगी जो सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि करे। यह सोसाइटी 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से केंद्रित तरीके से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न निर्यात

संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में सहकारी समितियों की मदद करेगी। सोसाइटी सहकारी क्षेत्र में उत्पादित अधिशेष वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा मिलेगा। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जहां सदस्य अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से बेहतर कीमतों की प्राप्ति और समाज द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश दोनों से लाभान्वित होंगे।

(ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की है। इन समितियों का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः जैविक खेती को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीजों के उपयोग में सुधार करना है।

(ग): भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सहकारिता के माध्यम से भारत में गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्राथमिक से शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियां इसके सदस्य बनने के पात्र हैं। सोसाइटी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाते हुए पैक्स के माध्यम से प्रमाणित और सभी तीन पीढ़ियों के बीज अर्थात ब्रीडर, फाउंडेशन के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जहां सदस्यों को गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के माध्यम से बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों के उच्च उत्पादन और समाज द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश दोनों से लाभ होगा।

*****